पत्रांक– वित्त(SFC)–12 / 24(01)...263/ वि0आ0
झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

राँची, दिनांक 23/12/24

प्रेषक,

अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय– **पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग– आयोग के पत्रांक–58 / वि0आ0, दिनांक–13.05.2024, पत्रांक–92 / वि0आ0, दिनांक–24.06.2024 तथा आपका पत्रांक–267 दिनांक–18.06.2024

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था तथा प्रथम प्रतिवेदन प्रशासी विभाग के पत्रांक 267 दिनांक–18.06.2024 से प्राप्त हुआ था। संबंधित प्रतिवेदन के क्रम में याचित प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है। आप अवगत है कि 13वें भारत वित्त आयोग ने एक निर्धारित बिन्दुओं पर राज्य वित्त आयोगो को प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया है, जिसकी पुष्टि 15वें वित्त आयोग नें भी अपने प्रतिवेदन में की है। इस क्रम में अपेक्षित सूचनाएं आपके कार्यालय से प्राप्त होना अति आवश्यक है। आप अवगत है कि आयोग के स्तर पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तथा कोई डाटा बेस भी उपलब्ध नहीं है। अतः अनुरोध है कि यथाशिध्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

(ii) इस संबंध में आपके कार्यालय के पत्रांक–267 दिनांक–18.06.2024 के द्वारा एक उत्तर प्राप्त हुआ था। उस क्रम में पुनः कतिपय सूचना मांगी गयी थी। **उसके बाद कोई कार्रवाई अबतक नहीं हुई प्रतीत होती है।** इसके साथ ही साथ **पूर्व पत्रों के क्रम में कतिपय सूचनाएं अप्राप्त थी** जिसे इस पत्र में शामिल भी किया गया है।

(iii) श्री विजय कुमार भगत, संयुक्त सचिव ने दिनांक–03.12.2024 की बैठक में भाग भी लिया था। प्रशासी विभाग द्वारा औपचारिक रूप से अद्यतन नोडल(Nodal) पदाधिकारी नामित करने की सूचना प्राप्त नहीं है। यथाशीघ्र नोडल(Nodal) पदाधिकारी नामित करना चाहेंगे।

2. उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओ पर विभागीय स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट किया जाए :–

(i) वित्तीय वर्ष 2018–19, 2023–24 तक की विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा तथा योजनाओं का सोशल ऑडिट, इम्पेक्ट स्टडी की स्थिति अगर शोसल ऑडिट/स्टडी की गई हो तो प्रतिवेदन तथा एटीआर (Action Taken Report) का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

(iii) आपके विभाग का संबंधित विषय पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ अंतःविभागीय समन्नवय की क्या स्थापित प्रक्रिया है?

3. जीपीडीपी(GPDP) अंतर्गत चयनित योजनाएं जो पीआरआई (PRI) के स्तर पर वित्तीय संसाधन कें अभाव में कार्यान्वित नहीं हुई, क्या प्रशासी विभाग अपने विभाग से संबंधित ऐसी अकार्यान्वित योजनाओं को अपने विभागीय बजट में शामिल कर कार्यान्वित करता है? अगर हॉ तो कितनी योजनाएं? जिलावार ब्यौरा उपलब्ध कराना चाहेंगे। वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे।

4. जल संसाधन विभाग के नियन्त्राधीन Big Dam योजनाओं में कितनी योजनाओं से **पेयजलापूर्ति** की जाती है? संबंधित योजना का नाम अंकित करना चाहेंगे।

5. जल संसाधन विभाग के नियन्त्राधीन कितनी योजनाएं है, जिसमें **मत्सय पालन** किया जा रहा है? संबंधित का भी नाम अंकित करना चाहेंगे।

6. जल संसाधन विभाग के नियन्त्राधीन कितनी योजनाएं है जिससे जल विद्युत /अन्य Renewable Energy Project संचालित है या प्रस्तावित है? संबंधित योजना का नाम भी अंकित करना चाहेंगे।

7. भू–जल (Ground Water) Use for the agriculture and/or industrial purpose की क्या राज्य नीति (Policy) है? उसकी प्रति उपलब्ध कराना चाहेंगे।

(i) क्या झारखण्ड में अधिसूचित जल नीति (Water Policy) है? अगर हाँ तो उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाय। क्या Water bodies survey हुआ है, अद्यतन अंतिम क्या है ?

8. अद्यतन Central ground water Board (CGWB) के अनुरूप Jharkhand District/area/block wise water table status क्या है? Ground water extraction/ deep boring etc की क्या नीति है ? CGWB का क्या सुझाव है ?

(i) अगर कोई Restriction है जो कंडिका 7 एंव 8 के क्रम में उसकी Monitoring की क्या व्यवस्था है ?

(ii) क्या कोई उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है।

9. Right to Service Act के तहत विभाग की कौन–कौन गतिविधियाँ आच्छादित है? उसका ब्यौरा, उसके Monitoring की व्यवस्था तथा Act /Rule का relevant अंश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करना चाहेंगे।

10. प्रशासी विभाग की आयोग से क्या अपेक्षा है?

विश्वासभाजन,

23/12/2024

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग।

ज्ञापांकः– वित्त(SFC)–12/24(01) 263 **/वि0आ0** **राँची, दिनांकः–** 23/12/24

प्रतिलिपि :– सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/12/2024
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग।